कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ...अल्मोडा।...

जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों पर अल्पकालीन शिक्षण हेतु नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किये जाने हेतु विज्ञप्ति।

विज्ञापन संख्या–...01............

शासनादेश संख्या–151/XXIV–नवसृजित/2015–07(2)/14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित दिनांक 13 अप्रैल, 2015 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–307/XXIV–नवसृजित/2015–07 (02)/14 दिनांक 08 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या–389/XXIV–नवसृजित/ 2015–07(2)/14 दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या–565/XXIV–नवसृजित 15–07(2)/14 दिनांक 04 अगस्त, 2015 तथा शासनादेश संख्या–240/XXIV–नवसृजित/16–07(2)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के क्रम में जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों यथा मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, चिकित्सावकाश आदि के कारण निम्नांकित पदों पर छात्रहित/जनहित में नितान्त अस्थायी व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल गठित किया जाना है :–

(अ) स0अ0एल0टी0 संवर्ग

क्र0सं0	शाखा	विषय जिनमें विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किया जाना है।
1	महिला	हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,गणित,विज्ञान,सा0वि0,कला,व्यायाम,संगीत,गृह विज्ञान,
2	सामान्य	हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,गणित,विज्ञान,सा0वि0,कला,व्यायाम,संगीत,कृषि,वाणिज्य,

(ब) प्रवक्ता संवर्ग

क्र0सं0	शाखा	विषय जिनमें विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किया जाना है।
1	महिला	हिन्दी,अंग्रेजी,गणित,रसायन वि0,भौतिक वि0,संस्कृत,जीव वि0,इतिहास,भूगोल,राजनीति वि0,समाजशास्त्र,मनोविज्ञान,कला,शिक्षाशास्त्र,
2	सामान्य	हिन्दी,अंग्रेजी,गणित,रसायन वि0,भौतिक वि0,संस्कृत,जीव वि0,इतिहास,भूगोल,राजनीति वि0,समाजशास्त्र,मनोविज्ञान,कला,शिक्षाशास्त्र,

1. सम्बन्धित जनपद में निवासरत इच्छुक अभ्यर्थी, जो सहायक अध्यापक एल0टी0 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 यथा प्रथम संशोधित–2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता सवर्ग) नियमावली–2008 में निहित प्राविधानानुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हताधारी हों, से **स0अ0एल0टी0 संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।**

12/04/2016

3. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
4. आवेदन पत्र का प्रारूप, संबंधित सेवा नियमावली एवं सम्बन्धित शासनादेश विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की विभागीय वैबसाइड **www.schooleducation.uk.gov.in** पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइड से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
5. इच्छुक/अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पूर्ण कर वांछित समस्त अभिलेख संलग्न कर पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निवासरत जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
6. जनपद स्तर पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर चयन जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
7. विषयवार अनुमोदित सूची में से मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मैरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विद्यालय में **स्थानान्तरण/नियमित नियुक्ति/पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने, मातृत्व/बाल्य देखभाल अथवा दीर्घावकाश से वापस आने तक अथवा 89 दिन, जो भी पहले हो, तक अनुबन्धित किया जायेगा।**
8. **महिला अभ्यर्थी सामान्य शांखा एवं महिला शाखा (दोनों शाखाओं) हेतु पृथक–पृथक आवेदन कर सकती हैं, किन्तु पुरूष अभ्यर्थी मात्र सामान्य शाखा में ही आवेदन करने के पात्र होंगे। महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विषयों हेतु पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। स0अ0एल0टी0 एवं प्रवक्ता पदों हेतु भी पृथक–पृथक आवेदन किया जाना होगा।**
9. **अभ्यर्थी द्वारा अपने निवासरत जनपद हेतु ही आवेदन किया जायेगा।**
10. नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में चयनित् अभ्यर्थी के सम्बन्धित विद्यालय में कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने व अन्य कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को गठित पूल से पृथक कर दिया जायेगा।
11. विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में योगदान देने से पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।
12. उक्त व्यवस्था नितान्त कामचलाऊ एवं छात्रहित/जनहित में की जा रही है, फलस्वरूप गठित पूल में चयनित अभ्यर्थी का नियमित नियुक्ति/विनियमितीकरण एवं अन्य किसी प्रकार के अधिमान हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट हस्तलिपि में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (समस्त संलग्नकों सहित) **9" X12" के लिफाफे** में रखकर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर **"विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या–............... एवं आवेदित पद नाम .... विषय.................. शाखा................(महिला एवं सामान्य)** अवश्य अंकित की जाय।

12/5/16

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम **तिथि दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के सांय 5.00 तक** है, इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र विभागीय वैबसाइड **www.schooleducation.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

आज्ञा से

मुख्य शिक्षा अधिकारी..........

कार्यालय का पता.......................